<u>न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> <u>जिला बैतूल</u>

<u>दांडिक प्रकरण कः – 57 / 15</u> <u>संस्थापन दिनांकः – 18 / 02 / 15</u> <u>फाईलिंग नं. 233504002212015</u>

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला–बैतूल (म.प्र.)

..... अभियोजन

वि रू द्व

- 1. पप्पू पिता नत्थू मतलाने, उम्र 21 वर्ष
- 2. दीनू पिता नत्थू मतलाने, उम्र 18 वर्ष
- नत्थू पिता चिन्धू मतलाने, उम्र 45 वर्ष, सभी निवासी ग्राम ससुन्द्रा, थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....<u>अभियुक्तगण</u>

<u>-: (नि र्ण य) :-</u>

(आज दिनांक 28.04.2017 को घोषित)

- 1 प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 294, 323/34, 341, 506 भाग—दो भा0दं०सं० के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 07.01.2015 को समय शाम 07:30 बजे या उसके लगभग ससुन्द्रा गांव के पास बेलमंडई पुलिया के पास थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी मंगरू और अन्य को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी मंगरू को उपहित कारित करने का सामान्य आशय बनाया और उसकी पूर्ति में फरियादी मंगरू को हाथ थप्पड़ से मारपीट कर उपहित कारित की एवं फरियादी मंगरू को सदोष अवरूद्ध किया तथा फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 07.01. 2015 शाम 07:30 बजे उसके खेत से बैलगाड़ी से उसकी पत्नी सुनीता, बच्चा नितेश एवं गांव के कुंडलिक की पत्नी को बैठाकर घर आ रहा था। तभी गांव के पास बेलमंडई रोड पर पुलिया के पास अभियुक्त नत्थू ने आकर उसे रोका लिया और उसके लड़के अभियुक्त पप्पू एवं दिनू उसे मां बहन की गंदी गंदी गालियां देने लगे। अभियुक्तगण ने बैलों की जोत छोड़कर उसके साथ हाथ मुक्कों से मारपीट किये जिससे उसे दोनों आंख के पास चेहरे, नाक, पीठ पर

चोटें आयी। अभियुक्तगण ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर अस्पताल चौकी बैतूल में अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध क. 08/15 पंजीबद्ध कर असल कायमी हेतु थाना आमला भेजा गया। थाना आमला में अभियुक्तगण के विरूद्ध असल अपराध क. 25/15 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उनका कहना है कि वे निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

- 1. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित किये थे ?
- 2. क्या अश्लील शब्दों का उच्चारण लोक स्थान अथवा उसके समीप किया गया था ?
- 3. क्या इससे उसे एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित हुआ था ?
- 4. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने फरियादी के साथ मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया ?
- 5. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने सामान्य आशय की पूर्ति में फरियादी मंगरू को हाथ थप्पड़ से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
- 6. क्या अभियुक्तगण द्वारा ऐसा गंभीर व अचानक प्रकोपन से अन्यथा स्वेच्छया किया गया ?
- 7. क्या अभियुक्तगण ने घटना के समय फरियादी मंगर्त्तू को सदोष अवरूद्ध किया गया ?
- 8. क्या अभियुक्तगण ने फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया था ?
- निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

विचारणीय प्रश्न क. 01, 02, 03 एवं 08 का निराकरण

5 अभियुक्तगण द्वारा घटना के समय अश्लील शब्द उच्चारित कर फरियादी अथवा अन्य को क्षोभ कारित करने एवं फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में किसी भी अभियोजन साक्षी ने उनके न्यायालयीन कथनों में कोई कथन प्रकट नहीं किये हैं। अतः साक्ष्य के नितांत अभाव में अभियुक्त के विरूद्ध धारा 294, 506 भाग–2 भा0दं0सं0 का आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

विचारणीय प्रश्न क. 04, 05, 06 एवं 07 का निराकरण

- 6 मंगरू (अ.सा.—1) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि घ ाटना के समय वह बैलगाड़ी से जा रहा था तभी अभियुक्तगण ने उसे घेर लिया। अभियुक्त पप्पू ने उसे खींच लिया और तीनों अभियुक्तगण ने मिलकर उसकी हाथ मुक्के से मारपीट की। मारपीट से उसे दोनों आंख के नीचे, पीठ, सीने आदि जगह पर चोटें आयी थी। सुनीता (अ.सा.—2) ने फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए यह बताया है कि अभियुक्त दीनू ने उसके पित की कॉलर पकड़कर उसे बैलगाड़ी से नीचे उतार दिया था और अभियुक्त नत्थू, दीनू, पप्पू ने मिलकर उसके पित के साथ मारपीट किये थे। मारपीट से उसके पित की नाक से खून निकलने लगा, एक दांत टूट गया और आंख में चोट आयी थी।
- 7 डॉ. रिवकांत उइके (अ.सा.—4) ने दिनांक 07.01.2015 को जिला चिकित्सालय बैतूल में मेडिकल आफिसर के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को आहत मंगरू का परीक्षण किये जाने पर उसके दांहिने गाल पर सूजन एवं दांहिनी आंख के चारो तरफ सूजन तथा चेहरे के बांयी ओर जायगोमेटिक रीजन पर 3 गुणा 1 सेमी. आकार का एक फटा हुआ घाव होना बताया है। साक्षी ने आहत को आयी चोट कड़े एवं बोथरे वस्तु से पहुंचायी जाना प्रकट करते हुए एमएलसी रिपोर्ट (प्रदर्श प्री—2) को प्रमाणित किया है।
- 8 मंगलमूर्ति (अ.सा.—7) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 18. 01.2015 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए अपराध क. 25 / 15 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उक्त दिनांक को घटना स्थल का मौका नक्शा (प्रदर्श प्री—5) तथा अभियुक्त नत्थू को गिरफ्तार कर प्रदर्श पी—6 तथा दिनांक 20.01.2015 को अभियुक्त पप्पू एवं दिनू को गिरफ्तार कर प्रदर्श पी—7 एवं प्रदर्श पी—8 के गिरफ्तारी पत्रक तैयार

किया जाना बताते हुए उपर्युक्त दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है।

- 9 बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण में किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। फरियादी मंगरू, साक्षी सुनीता एवं नीतेश एक ही परिवार के होकर हितबद्ध साक्षी हैं। साक्षीगण के कथनों में पर्याप्त विरोधाभास है जिससे अभियोजन के मामले में संदेह उत्पन्न होता है जिसका लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना चाहिए। जबिक अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन के मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होने का तथ्य प्रकट किया है।
- वचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में यह सही है कि प्रकरण में साक्षी प्रमु (अ.सा.—5) एवं कौशल्या (अ.सा.—6) ने अभियोजन का किंचित मात्र समर्थन नहीं किया है। अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्षीगण से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षीगण ने अभियोजन के समर्थन में कोई भी तथ्य प्रकट नहीं किये हैं परंतु यह उल्लेखनीय है कि सामान्यतः कोई भी व्यक्ति किसी अन्य के मामले में गवाही देने से बचता है। ऐसी स्थिति में मात्र स्वतंत्र साक्षियों के द्वारा घटना का समर्थन न किये जाने से अभियोजन का मामला दूषित नहीं हो जाता है। इस संबंध में साक्ष्य अधिनियम की धारा 134 में स्पष्टतः वर्णित है कि— किसी मामले में किसी तथ्य को प्रमाणित करने के लिए साक्षियों की कोई विशेष संख्या अपेक्षित नहीं है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जोसेफ विरुद्ध केरल राज्य (2003) 1 एससीसी 465 के न्याय दृष्टांत में यह न्याय सिद्धांत प्रति पादित किया है कि ——एकमात्र साक्षी की साक्ष्य भी यदि पूरी तरह विश्वसनीय पायी जाती है तो उस पर दोषसिद्ध स्थिर की जा सकती है, अवलोकनीय है।
- 11 बचाव अधिवक्ता का यह तर्क कि प्रकरण में फरियादी मंगरू, सुनीता, नीतेश हितबद्ध साक्षी है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत वीरेंद्र पोददार विरुद्ध स्टेट ऑफ बिहार ए.आई.आर. 2011 एस.सी. 233 में यह प्रतिपादित किया गया है कि रिश्तेदारी किसी गवाही की साक्ष्य को अविश्वसनीय मानने का आधार नहीं हो सकती है। ऐसे गवाह की साक्ष्य की सावधानी से छानबीन अपेक्षित है। अतः बचाव अधिवक्ता के उपर्युक्त तर्कों से अभियुक्तगण को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।
- 12 अभिलेख पर मंगरू (अ.सा.—1), सुनीता (अ.सा.—2), नीतेश (अ.सा. —3) की साक्ष्य उपलब्ध है। उपर्युक्त तीनों साक्षीगण एक ही परिवार के होकर चक्षुदर्शी साक्षी हैं। अतः उपर्युक्त साक्षीगण की साक्ष्य की सावधानी से छानबीन अपेक्षित है।

13 मंगरू (अ.सा.—1) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि ६ । इटना ग्राम ससुंद्रा में पुलिया के पास की शाम 7 बजे की है। इटना के समय बैलगाड़ी में वह, उसकी पत्नी सुनीता, छोटा लड़का नीतेश एवं एक काकी साथ में बैठी थी तथा उसका बड़ा लड़का शुभम एक जोड़ी बैल लेकर आगे चल रहा था। साक्षी ने आगे यह भी प्रकट किया है कि जैसे ही वह घटना स्थल पर पहुंचा वैसे ही अभियुक्तगण ने उसे घेर लिया और पप्पू ने उसे बैलगाड़ी से खींच लिया, फिर तीनों ने मिलकर हाथ मुक्के से उसकी मारपीट की। साक्षी ने आगे यह भी प्रकट किया है कि मारपीट उसे उसकी दोनों आंखों में, पीठ, सीने में चोट आयी थी। प्रभु किराड़ ने बीच बचाव किया था और उसके बेटे ने एम्बुलेंस बुलकर ईलाज के लिए ले गया था।

14 सुनीता (अ.सा.—2) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि वह शाम के समय खेत से बोनी करके बैलगाड़ी से वापस आ रहे थे। बैलगाड़ी उसका पित चला रहा था। बड़ा लड़का दो बैल लेकर आगे आगे चल रहा था। जैसे ही वे मौके पर पहुंचे तब अभियुक्त पप्पू ने बैल गाड़ी को पकड़ लिया और खिल्ली निकाल दी। अभियुक्त दीनू ने उसके पित की कॉलर पकड़कर बैलगाड़ी से नीचे उतार दिया। फिर तीनों अभियुक्तगण ने मिलकर उसके पित के साथ मारपीट किये। मौके पर अभियुक्त नत्थू की बहन सुनीता एवं पत्नी निर्मला भी आये थे उन्होंने भी बीच बचाव किया था। साक्षी ने आगे यह प्रकट किया है कि मारपीट से उसके पित की नाक से खून निकलने लगा था, एक दांत टूट गया था और आंख में चोट आयी थी। बीच बचाव प्रभु किराड़ ने किया था। फिर वह अपने पित मंगरू को ईलाज के लिए बैतूल लेकर आ गयी थी। नीतेश (अ.सा.—3) जो कि बाल साक्षी है उसने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय वह अपने पिता और मां के साथ बैलगाड़ी से घर वापस आ रहा था। तभी पुलिया के पास अभियुक्तगण मिले और उसके पिता को हाथ मुक्कों से मारपीट करने लगे जिससे उसके पिता को चोटें आयी थी।

15 मंगरू (अ.सा.—1) ने प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 04 में यह बताया है कि उसने पुलिस को गाली गलौच करने वाली बात नहीं बतायी थी। स्वतः में साक्षी ने कहा है कि अस्पताल चौकी में पुलिस को अभियुक्तगण द्वारा मारपीट करने वाली बात बतायी थी। पैरा क. 05 में साक्षी ने इस सुझाव से इनकार किया है कि अभियुक्तगण ने उसके साथ कोई मारपीट नहीं की थी। सुनीता (अ.सा.—2) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्तगण ने उसके साथ कोई मारपीट नहीं की थी। साक्षी ने इस सुझाव को भी सही बताया है कि वह बैलगाड़ी में बैठी हुई थी। पैरा क. 04 में साक्षी ने यह भी बताया है कि उसने पुलिस को यह बता दिया था कि अभियुक्त पप्पू और दीनू ने बैल छोड़कर उसके पित के साथ हाथ मुक्कों से मारपीट की थी। स्वतः में साक्षी ने कहा है कि अभियुक्तगण ने उसके पित को गाड़ी से खींच कर मारा था। नीतेश (अ.सा.

- -3) ने प्रतिपरीक्षण में बचाव के इस सुझाव को सही बताया है कि वह स्कूल में पढ़ता है और सुबह 10 बजे स्कूल जाता है। साक्षी ने यह भी बताया है कि घाटना के समय वह स्कूल गया था और जब वापस आया तो मां ने बताया कि खेत में झगड़ा हो गया है। साक्षी से न्यायालय के द्वारा यह पूछे जाने पर कि अभियुक्तगण ने उसके पिता को मारा था उसने देखा या नहीं तब साक्षी ने हां की मुद्रा में अपना सिर हिलाया।
- बचाव अधिवक्ता का यह महत्वपूर्ण तर्क रहा है कि 16 साक्षीगण के कथनों में पर्याप्त विरोधाभास है। अभियोजन कथा के अनुरूप साक्षीगण ने कथन नहीं किये है। तर्क के परिप्रेक्ष्य में मंगरू (अ.सा.-1) ने अपने मुख्य परीक्षण में अभियुक्त पप्पू के द्वारा उसे बैलगाड़ी से खींच लिया जाना बताया है जबिक साक्षी सुनीता (अ.सा.—2) ने अभियुक्त दीनू के द्वारा उसके पति को कॉलर पकड़कर बैलगाड़ी से खींच लिया जाना बताया है। मंगरू (अ.सा.-1) ने यह भी बताया है कि मारपीट से उसके पूरे शरीर, दोनों आंखों, पीठ एवं सीने में चोटें आयी थी तथा साक्षी सूनीता (अ.सा.-2) ने यह बताया है कि उसके पति की एक आंख में चोट आयों थी और एक दांत भी टूट गया था। स्पष्टतः साक्षीगण के कथनों में कुछ विसंगति है परंतु जिन्हें बचाव अधिवक्ता तात्विक बता रहे हैं वह अत्यन्त सामान्य हैं। सामान्यतः मानवीय स्वभाव के अनुरूप कोई भी व्यक्ति घटना को बढ़ाचढ़ाकर बताता है। उपर्युक्त दोनों साक्षीगण अभियुक्तगण द्वारा हाथ मुक्कों से मारपीट किये जाने के तथ्य पर पूर्णतः अखंडित रहे हैं। उनकी साक्ष्य में आयी विसंगति अभियोजन की कथा को दूषित नहीं करती है। अतः बचाव अधिवक्ता यह तर्क भी उचित न होने से अमान्य किया जाता है।
- वचाव अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि फरियादी के द्वारा विलंब से रिपोर्ट लेख करायी गयी है जिससे अभियोजन कथा संदेहास्पद हो जाती है। बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में यह सही है कि फरियादी के द्वारा घटना के लगभग दो दिन बाद रिपोर्ट लेख करायी गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में विलंब से रिपोर्ट लेख कराये जाने का कारण आहत का ईलाज हेतु बैतूल चला जाना लेख है। यह स्वाभाविक है कि यदि किसी व्यक्ति को चोटें आयी हो, वह घायल अवस्था में हो तो वह एवं उसके परिवार के लोग सर्वप्रथम उसका उपचार करायेंगे। अतः इन परिस्थितियों में अभियोजन के द्वारा विलंब का समुचित स्पष्टीकरण दर्शित हो रहा है और विलंब अभियोजन के लिए घातक नहीं है।
- 18 फरियादी मंगरू (अ.सा.—1) अभियुक्तगण द्वारा उसे रास्ते में रोककर उसके साथ मारपीट किये जाने के तथ्य पर पूर्णतः स्थिर है। उसकी साक्ष्य का समर्थन साक्षी सुनीता (अ.सा.—2) के कथनों से भी होता है। आहत

मंगरू की साक्ष्य चिकित्सकीय साक्ष्य से भी समर्थित है। प्रतिपरीक्षण में फरियादी मंगरू (अ.सा.—1) एवं सुनीता (अ.सा.—2) अभियुक्तगण द्वारा मारपीट किये जाने के तथ्य पर अखंडित रहे हैं। अतः ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित पाया जाता है कि अभियुक्तगण के द्वारा फरियादी को सदोष अवरोध कारित कर उसके साथ सामान्य आशय के अग्रशरण में मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।

19 अभियुक्तगण का एक साथ मौके पर आना तथा अभियुक्तगण द्व ारा एक साथ मिलकर फरियादी की हाथ मुक्के से मारपीट की जाना उनके स्वेच्छया आचरण को दर्शित करता है। अभिलेख पर ऐसे तथ्य नहीं है कि फरियादी के द्वारा अभियुक्तगण को प्रकोपन दिया गया है।

विचारणीय प्रश्न क. 09 का निराकरण

20 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी मंगरू और अन्य को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया किंतु अभियोजन यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्तगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी मंगरू को उपहित कारित करने का सामान्य आशय बनाया और उसकी पूर्ति में फरियादी मंगरू को हाथ थप्पड़ से मारपीट कर उपहित कारित की तथा फरियादी मंगरू को सदोष अवरूद्ध किया। फलतः अभियुक्तगण पप्पू, दीनू एवं नत्थू को भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 506 भाग—दो के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

21 अभियुक्तगण की ओर से पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

नोट:— दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थिगित किया जाता है।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.) पुनश्च :-

- 22 दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्तगण के बचाव अधिवक्ता एवं विद्वान ए 0डी0पी0ओ0 के तर्क श्रवण किए गए। बचाव अधिवक्ता का यह कहना है कि यह अभियुक्तगण का प्रथम अपराध है तथा तीनों अभियुक्तगण आपस में पिता—पुत्र होकर एक ही परिवार के सदस्य हैं। अतः उन्हें परिवीक्षा विधि का लाभ प्रदान किया जाए अथवा कम से कम दंड से दंडित किया जाये। जबकि विद्वान ए.डी.पी.ओ. का कहना है कि अभियुक्तगण के विरुद्ध सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी का रास्ता रोककर मारपीट करने का मामला प्रमाणित हुआ है। अतः उन्हें अधिकतम कठोर कारावास से दण्डित किये जाने का तर्क प्रस्तुत किया गया।
- 23 उभयपक्ष के तर्क को विचार में लिया गया। अभियुक्तगण द्वारा फरियादी को मारपीट किये जाने का सामान्य आशय निर्मित कर सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी के साथ मारपीट कर उसे उपहित कारित करने एवं फरियादी को सदोष अवरूद्ध करने का अपराध कारित किया गया है। अपराध कारित करते समय अभियुक्तगण अपने कृत्य की प्रकृति व उसके संभावित परिणाम को समझने में भली—भांति सक्षम थे, अतः उन्हें परिवीक्षा विधि का लाभ दिया जाना न्याय—संगत नहीं है।
- 24 अभियुक्तगण के विरुद्ध पूर्व की कोई दोषसिद्धी भी अभिलेख पर नहीं है। हस्तगत प्रकरण में अभियुक्तगण एवं फरियादी एक ही ग्राम में रहने वाले है तथा तीनों अभियुक्तगण आपस में पिता—पुत्र हैं। अपराध की प्रकृति एवं मामले की सम्पूर्ण परिस्थितियों पर विचारोपरांत अभियुक्तगण को न्यायालय उठने तक के कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किए जाने में न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। अतः अभियुक्तगण पप्पू, नत्थू एवं दीनू को धारा 323/34 भा.दं.सं. के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिये न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 500/—500/— रूपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है तथा धारा 341 भा.दं.सं. के आरोप में 200/— 200/— रूपये कुल 700/— रूपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है तथा घारा उतिरक्त सश्रम कारावास भृगताया जावे।
- 25 धारा 357(1) दं.प्रं.सं. के अंतर्गत अर्थदंड की राशि में से 1,500/— रूपये आहत मंगरू पिता चिन्धु मतलाने, निवासी ससुंद्रा, थाना आमला जिला बैतूल को प्रतिकर स्वरूप अपील अविध पश्चात प्रदान किये जावे। अपील होने के दशा में अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावे।

26 अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

27 दं0प्र0सं0 की धारा 363(1) के अंतर्गत अभियुक्तगण को निर्णय की एक प्रतिलिपि निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.) (श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)